भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 225
सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 04 अग्रहायण, 1946 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

225. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को शामिल करने के लिए समावेशी ढांचा बनाने पर विचार कर रही है/ सृजन कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस संबंध में सभी हितधारकों की राय लेने के लिए एक समर्पित समिति का गठन करेगी;
(घ) क्या सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर सभी गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों का पंजीकरण करने के लिए तीन महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और
(ङ) उन लाभों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत गिग और प्लेटफॉर्म के कामगारों को प्रदान करना चाहती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारांदलाजे)

(क) से (ङ): संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को परिभाषित किया गया है। संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

संहिता में जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने हेतु उपबंध किए गए हैं। संहिता में कल्याणकारी योजना के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना हेतु भी उपबंध किए गए हैं।

हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु फ्रेमवर्क का सुझाव देगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एग्रीगेटर्स को स्वयं एवं उनके साथ कार्यरत प्लेटफॉर्म कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने हेतु एक परामार्शिका भी जारी की गई है।

*****